

तिथि

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

पारित
आदेश पर
अनुपालनन्यायालय अपर समाहर्ता, गिरिडीह ।

केस का प्रकार.....परमिशन.....

केस सं०.....115.....वर्ष 2014

काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 की धारा 46(i)(b) के तहत परमिशनहेतु आदेश पत्र।

श्री/श्रीमति सीता राम चौड़े, बुटुलाल चौड़े, लखन चौड़े पिता स्व. भादो मांझी साकिन जंगलपुर थाना गिरिडीह(मु.) जिला गिरिडीह से संबंधित भूमि जिसका ब्यौरा निम्नवत् है, श्रीमती रिता तिग्गा पति राजेश तिग्गा, साकिन मकतपुर, पंजाबी मुहल्ला थाना-गिरिडीह जिला गिरिडीह के साथ जमीन वस्त्रियत/विकी/लीज हेतु काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(i)(b)के तहत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है आम इश्तहार जारी करें। अंचल अधिकारी, गिरिडीह से जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित माँग करें। किसी व्यक्ति को यदि आपत्ति पत्र दाखिल करना है तो दिनांक.....15-1-15 तक अपना आपत्ति दाखिल कर सकते हैं।

भूमि का ब्यौरा

मौजा	थाना एवं थाना नं०	खाता नं.	प्लॉट नं.	विकी रकवा(एकड़ में)
1	2	3	4	5
सिरसिया	गिरिडीह(मु.) 44	39	279	0.10
कुल रकवा दस डीसमील				0.10

लेखापित

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

18/10/17

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का वाग्विषय
प्राप्त है अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं है।
यह आवेदन सन 2015 से लंबित है।
पक्षकार के द्वारा अखतबे चैरवी नहीं की गई
है।

अतः इस मामले की कार्रवाई समाप्त
की जाती है।

लेखापित्त
18/10
अपर समाहली
तिरिडीह।

18/10

अपर समाहली
तिरिडीह।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	प्रकार	स्थिति
010	01/10
010

...

...